भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3602
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसान यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगें

3602. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किसान यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों और तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों के आंदोलन को स्थगित करने के बदले में 2021 में उनसे किए गए वादों का समाधान करने की क्या योजना है;

(ख) सरकार द्वारा नीति-निर्माण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मतभेदों को सुलझाने और कृषक समुदाय द्वारा सरकार की नीतियों में विश्वास जताने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार की योजना गारंटीकृत एमएसपी समिति में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): किसान यूनियनों की मांगों के आधार पर, 3 कृषि कानूनों अर्थात - (i) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता; (ii) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020; और (iii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को दिनांक 30 नवंबर, 2021 के कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 40) की अधिसूचना तहत निरस्त कर दिया गया।

सरकार ने दिनांक 12.07.2022 की अधिसूचना के तहत एक समिति गठित की, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति को एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण के लिए सिफारिशें करनी हैं। समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं, जिसमें उसे सौंपे गए विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

समिति के सदस्यों में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य, अन्य किसान संगठनों के 5 सदस्य तथा किसान सहकारी समितियों/समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

****